

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1187

जिसका उत्तर सोमवार, 8 दिसम्बर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

पीएम स्वनिधि योजना

1187. श्री कौशलेन्द्र कुमार:

श्री दिनेश चंद्र यादव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में पीएम स्वनिधि और सीएम स्वनिधि योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और
- (ख) देश में उक्त योजना के अंतर्गत अब तक लाभार्थियों को कितनी ऋण राशि संवितरित की गई है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने 01 जून, 2020 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी सावधि ऋण की सुविधा प्रदान करना है। भारत सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। दिनांक 19.11.2025 की स्थिति के अनुसार, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 68,89,240 लाभार्थी हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थियों की संख्या अनुबंध के अनुसार है।

(ख): योजना की शुरुआत से लेकर 19 नवंबर 2025 तक, देश भर में 68.89 लाख स्ट्रीट वेंडर लाभार्थियों को ₹14,595.47 करोड़ की राशि के कुल 99.07 लाख ऋण वितरित किए गए हैं।

अनुबंध

दिनांक 19.11.2025 तक पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लाभार्थियों की संख्या		
क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	लाभार्थियों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	549
2	आंध्र प्रदेश	3,68,936
3	अरुणाचल प्रदेश	4,814
4	असम	1,22,319
5	बिहार	1,29,139
6	चंडीगढ़	5,025
7	छत्तीसगढ़	92,323
8	दिल्ली	1,92,784
9	गोवा	1,619
10	गुजरात	4,83,668
11	हरियाणा	1,69,900
12	हिमाचल प्रदेश	5,480
13	जम्मू और कश्मीर	17,315
14	झारखंड	86,036
15	कर्नाटक	3,98,083
16	केरल	1,20,526
17	लद्दाख	464
18	लक्षद्वीप	-
19	मध्य प्रदेश	8,96,441
20	महाराष्ट्र	8,61,013
21	मणिपुर	9,843
22	मेघालय	3,949
23	मिजोरम	2,714
24	नागालैंड	3,718
25	ओडिशा	65,580
26	पुडुचेरी	3,551
27	पंजाब	1,70,392
28	राजस्थान	1,94,172
29	सिक्किम	1,258
30	तमिलनाडु	4,03,767
31	तेलंगाना	4,29,519
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	2,222
33	त्रिपुरा	5,701
34	उत्तर प्रदेश	13,97,386
35	उत्तराखंड	28,700
36	पश्चिम बंगाल	2,10,334
	कुल	68,89,240
